



उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

'विद्युत नियामक भवन'

निकट आई.एस.बी.टी., पो0ऑ0-माजरा, देहरादून

PH. 0135-2641115 FAX- 2641314 Website www.uerc.gov.in E-mail- secy.uerc@gov.in

अनुवाद कार्य हेतु निविदा सूचना

आयोग कार्यालय में समय-समय पर अभिलेखों का हिन्दी भाषा में रूपान्तरण कार्य हेतु इस क्षेत्र के अनुभवी एवं दक्ष संस्थाओं/अनुवादकों से मुहरबन्द निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक निविदादाता अपनी निविदा विलम्बतः 16.02.2018 को अपरान्ह 03:00 बजे तक आयोग कार्यालय में प्रेषित कर सकते हैं, जो कि उक्त तिथि को ही अपरान्ह 04:00 बजे खोली जाएगी।

निविदा की विस्तृत जानकारी एवं निविदा हेतु निर्धारित प्रपत्र आयोग की वेबसाईट www.uerc.gov.in पर उपलब्ध है।

वि0सं0 : 17 / 17-18

सचिव

अनुवाद कार्य हेतु शर्तें एवं नियम

आयोग कार्यालय में समय-समय पर अभिलेखों का हिन्दी भाषा में रूपान्तरण कार्य हेतु इस क्षेत्र के अनुभवी एवं दक्ष संस्थाओं/अनुवादकों से मुहरबन्द निविदा आमंत्रित की जाती है।

इच्छुक निविदादाता अपनी निविदा विलम्बतः 16.02.2018 को अपरान्ह 03:00 बजे तक आयोग कार्यालय में प्रेषित कर सकते हैं, जो कि उक्त तिथि को ही अपरान्ह 04:00 बजे उपस्थित निविदादाताओं/उनके प्रतिनिधि के समक्ष खोली जाएगी। निविदा हेतु उल्लेखित शर्तें निम्नानुसार हैं :-

1. अनुवाद सम्बन्धी कार्य हेतु निविदा दर ए-4 साईज में लगभग 300 शब्द प्रति पृष्ठ के आधार पर अंकित की जानी होगी। जिसमें प्रूफ रीडिंग या अनुवाद में किसी प्रकार का परिवर्तन सभी सम्मिलित होंगे।
2. प्रति पृष्ठ में शब्द, तालिका इत्यादि सभी सम्मिलित होंगे।
3. अनुवादक द्वारा जिन विभागों के अनुवाद सम्बन्धी कार्य किये गये हैं, अथवा किये जा रहे हैं, का विवरण भी निविदा के साथ संलग्न करने होंगे।
4. अनुवाद सम्बन्धी कार्य प्रूफ रीडिंग के उपरान्त अनुवाद कार्य की मूल प्रति अथवा सॉफ्ट कापी (कम्प्यूटरीकृत टंकित कार्य सहित किये जाने की दशा में) सीडी अथवा पैन ड्राईव में आयोग को अनुवादक द्वारा उपलब्ध करायी जानी होगी।
5. हिन्दी अनुवाद कार्य को टंकण किये जाने की दशा में हिन्दी हेतु निर्धारित फान्ट Kruti Dev 010 तथा अंग्रेजी अनुवाद टंकण कार्य हेतु निर्धारित फान्ट Book Antiqua में प्रस्तुत किये जाने होंगे।
6. राजकीय विभागों के अनुवाद कार्यों का अनुभव रखने वाली संस्थाओं/अनुवादकों को वरियता दी जायेगी, इस हेतु उनके द्वारा जिन राजकीय विभागों में अनुवाद सम्बन्धी कार्य किये जा रहे हैं अथवा किये गये हैं, की आदेश की प्रतियाँ भी निविदा के साथ संलग्न करनी आवश्यक होगी।
7. निविदत्त दरें न्यूनतम एक वर्ष हेतु अनुबन्धित होगी।
8. फर्म या व्यक्ति द्वारा अनुवाद कार्य सन्तोषप्रद पाये जाने पर कार्य अनुबन्ध की सीमा विस्तारित की जा सकती है।
9. अनुवाद सम्बन्धी कार्य आयोग द्वारा समय-समय पर उपलब्धता के आधार पर दिया जाएगा, जो कि निर्धारित अवधि पर पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा।
10. निविदा की दरें केवल निर्धारित प्रपत्र पर ही आमंत्रित की जाएगी। इस हेतु निर्धारित प्रपत्र आयोग की वेबसाईट www.uerc.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।
11. किसी भी स्थिति में एक या समस्त निविदाओं को निरस्त किये जाने का अधिकार सचिव के पास सुरक्षित होगा।



उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

'विद्युत नियामक भवन'

निकट आई.एस.बी.टी., पो0ऑ0-माजरा, देहरादून

PH. 0135-2641115 FAX- 2641314 Website www.uerc.gov.in E-mail- secy.uerc@gov.in

निविदा हेतु प्रपत्र

संस्था/अनुवादक का नाम :

पता :

मोबाईल नं0 :

क्र0स0	विवरण	दर प्रति पृष्ठ
1	अग्रेंजी से हिन्दी अनुवाद (टंकण सहित) ए-4 साईज पेपर 300 शब्द प्रति पृष्ठ के आधार पर तथा प्रुफ रिडिंग एवं अनुवाद में परिवर्तन सहित	
2	अग्रेंजी से हिन्दी अनुवाद (टंकण बिना) ए-4 साईज पेपर 300 शब्द प्रति पृष्ठ के आधार पर तथा प्रुफ रिडिंग एवं अनुवाद में परिवर्तन सहित	
3	हिन्दी से अग्रेंजी अनुवाद (टंकण सहित) ए-4 साईज पेपर 300 शब्द प्रति पृष्ठ के आधार पर तथा प्रुफ रिडिंग एवं अनुवाद में परिवर्तन सहित	
4	हिन्दी से अग्रेंजी अनुवाद (टंकण बिना) ए-4 साईज पेपर 300 शब्द प्रति पृष्ठ के आधार पर तथा प्रुफ रिडिंग एवं अनुवाद में परिवर्तन सहित	

राजकीय विभाग जहाँ पर अनुवाद कार्य किये जा रहे हो या किये गये हो, उनका विवरण

(प्रतिलिपि संलग्न किया जाना अनिवार्य)

कोई अन्य शर्त, यदि कोई हो, कृपया उल्लेख करें :.....

दिनांक:-.....

निविदादाता के हस्ताक्षर/मोहर